



# संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30-01-2021

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मृत्यु कारित करने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार  
थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 44 / 2021 धारा 279 / 337 / 338 / 304ए /  
427 भादवि में वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्रीराम सिंह बोदवल थाना मुण्डेरवा  
जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.01.2021 को उक्त अभियुक्त द्वारा अपने टैक्टर रजिस्ट्रेशन  
नंबर UP 51 AY 6088 जिसमें बालू लाद कर तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी  
बृजेश कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के भाई  
शक्तिमान बाइक में ठोकर मार दिया जिससे वादी के भाई व उसकी बहन किरन को गंभीर  
रूप से घायल हो गये तथा वादी के भांजा अंश उम्र 05 वर्ष एवं भांजी अंशिका उम्र 09 वर्ष  
की मौत हो गयी थी। घटना के बाद वादी द्वारा दिनांक 27.01.2021 को थाना धनघटा पर  
लिखित तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त के क्रम में  
आज दिनांक 30.01.2021 को प्रभारी चौकी पौली विवेकानन्द तिवारी मय हमराह द्वारा  
गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 युवक गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ युवक नाम पता लालचन्द्र  
चौधरी पुत्र बुधई निवासी मलौली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर  
थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 27 / 2021 धारा 4 / 25 पंजीकृत कर माननीय न्यायालय  
रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल

संतकबीरनगर



# संतकबीरनगर पुलिस



- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1495 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल -** पीआरवी 1495 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत पिड़ारी खुर्द से इवेन्ट संख्या 07186 से कालर ने मारपीट / विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने जाने को बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ –** मुख्य आरक्षी रामायन शर्मा, मुख्य आरक्षी रामाज्ञा पासवान हो0चा0 सुभाष चन्द्र मौर्य

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 625000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 29.01.201 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 62500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल  
संतकबीरनगर